



Neutral Citation No. - 2026:AHC:41185

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6321/2026

ऋत्त्विक राज

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

श्रीमती विमला देवी और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : जयकिशन चौरसिया

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालाँकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील देवरिया खास, जिला देवरिया को निर्देश दिया जाए कि वे केस संख्या 16954/2023 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या टी202305200116954) का शीघ्रता से निपटारा करें।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि यू.पी. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर, यू.पी. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उचित और उपयुक्त होगा, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि ऐसा आवेदन दायर किए जाने पर, संबंधित प्राधिकारी को कानून के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए, एक समय-सीमा के भीतर उसका निपटारा करना होगा। यू.पी. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7),
- "(7). तहसीलदार, दाखिल-खारिज के निर्विवाद मामलों का निर्णय, मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेगा, और विवादित मामलों का निर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर करेगा; और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।
5. उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील देवरिया खास, जिला देवरिया को यह निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त आवेदन को अपने हाथ में लें और कानून के अनुसार, उसके अपने गुण-दोष के आधार पर, अत्यंत शीघ्रता से—और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर—

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उसका निपटारा करें; बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो, और इस प्रक्रिया में अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विरोधी दलीलों के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।"

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

24 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”